



भारत सरकार / Government of India

वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles

पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute commissioner

पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक/ Patsan Bhawan, CF Block,

सातवां व आठवां तल, एक्शन एरिया-I / 7th & 8th Floor, Action Area-I

न्यूटाउन, कोलकाता/ Newtown, Kolkata – 700156

फाइल संख्या : पटसन(विपणन)/106/2018

दिनांक: 25.07.2025

आदेश

पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 6 (1) (iii) एवं खंड 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 16.06.2025 के आंशिक रूप से संशोधित समसंख्यक आदेश का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत कच्चे जूट के बेलर्स, व्यापारी/ डीलर/ एजेंसी/ स्टॉकिस्ट को और जिन्होंने पंजीकरण हेतु इस कार्यालय में आवेदन नहीं किया है, उन्हें कच्चे जूट की अधिकतम मात्रा क्रमशः 500 क्विंटल, 100 क्विंटल तथा 500 किलोग्राम रखने की अनुमति दी जाती है। साथ ही, कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाले जूट मिल/उत्पादन इकाइयों को अधिकतम 45 दिनों के उपभोग के लिए कच्चे जूट की मात्रा के स्टॉक को रखने की अनुमति दी जाती है।

कच्चे जूट के वर्तमान विपणन परीदृश्य पर विचार करने के बाद, मैं, मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, दिनांक 20.05.2025 के उपर्युक्त आदेश तथा दिनांक 16.06.2025 के संशोधित आदेश एतद्वारा तत्काल प्रभाव से वापस लेता हूँ।

(मलय चंदन चक्रवर्ती)

पटसन आयुक्त

सेवा में,

(कच्चे जूट के सभी बेलर्स/ व्यापारी/ डीलर/ एजेंसी/ स्टॉकिस्ट)

(कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाले सभी जूट मिल/उत्पादन इकाइयाँ)

दिनांक 25.07.2025 को जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 6 (1) (iii) एवं खंड 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 16.06.2025 के आंशिक रूप से संशोधित समसंख्यक आदेश का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत कच्चे जूट के बेलर्स, व्यापारी/ डीलर/ एजेंसी/ स्टॉकिस्ट को और जिन्होंने पंजीकरण हेतु इस कार्यालय में आवेदन नहीं किया है, उन्हें कच्चे जूट की अधिकतम मात्रा क्रमशः 500 क्विंटल, 100 क्विंटल तथा 500 किलोग्राम रखने की अनुमति दी जाती है। साथ ही, कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाले जूट मिल/उत्पादन इकाइयों को अधिकतम 45 दिनों के उपभोग के लिए कच्चे जूट की मात्रा के स्टॉक को रखने की अनुमति दी जाती है।